THE CRIMINAL LAWS (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2021

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

 \boldsymbol{A}

Bill

further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973, in their application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I PRELIMINARY

- **1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Criminal Laws (Rajasthan Amendment) Act, 2021.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

CHAPTER II AMENDMENTS IN THE INDIAN PENAL CODE, 1860

2. Amendment of section 272, Central Act No. 45 of 1860.- In section 272 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.", the expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees and if such adulteration of article of food or drink is dangerous to human life, he shall be punished with imprisonment of either description for a

term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees." shall be substituted.

- 3. Amendment of section 273, Central Act No. 45 of 1860.- In section 273 of the principal Act, for the existing expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.", the expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees and if such article of food or drink that has been rendered or has become noxious is dangerous to human life, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees." shall be substituted.
- 4. Amendment of section 274, Central Act No. 45 of 1860.- In section 274 of the principal Act, for the existing expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.", the expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees and if such adulteration of drug or medical preparation is dangerous to human life, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees." shall be substituted.
- 5. Amendment of section 275, Central Act No. 45 of 1860.- In section 275 of the principal Act, for the existing expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.", the

expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees and if such adulteration of drug or medical preparation is dangerous to human life, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees." shall be substituted.

6. Amendment of section 276, Central Act No. 45 of 1860.- In section 276 of the principal Act, for the existing expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.", the expression "shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees and if such drug or medical preparation is dangerous to human life, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees." shall be substituted.

CHAPTER III AMENDMENT IN THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

7. Amendment of First Schedule, Central Act No. 2 of 1974.- In the First Schedule "CLASSIFICATION OF OFFENCES" to the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), under the heading "I.-OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE", for the existing entries relating to sections 272 to 276, the following entries shall be substituted, namely:-

٠.

	ı	T	ı	1	1
272	Adulterating food or drink intended for sale, so as to make the same noxious.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees.	Cognizable	Non- bailable	Court of session
	If such adulteration of article of food or drink is dangerous to human life.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto.
273	Selling any food or drink as food and drink, knowing the same to be noxious.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto
	If such article of food or drink that has been rendered or has become noxious is dangerous to human life.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto.

274	Adulterating any drug or medical preparation intended for sale so as to lessen its efficacy, or to change its operation, or to make it noxious.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto
	If such adulteration of drug or medical preparation is dangerous to human life.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto.
275	Offering for sale or issuing from a dispensary any drug or medical preparation known to have been adulterated.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto
	If such adulteration of drug or medical preparation is dangerous to human life.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto.

276	Knowingly selling or issuing from a dispensary any drug or medical preparation as a different drug or medical preparation.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto
	If such drug or medical preparation is dangerous to human life.	Imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees.	Ditto	Ditto	Ditto.

"

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The practice of adulteration of food and drink articles as well as drugs is a serious threat to health and life of the public.

Sections 272 to 276 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) provides for offences relating to adulteration of food, drink, drug or medical preparations so as to make it noxious and their sale. The said offences are punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

The said offences are non-cognizable and except offence related to adulterating any drug or medical preparation under section 274, the offences under sections 272, 273, 275 and 276 are bailable.

Apart from the penal provisions of the Indian Penal Code, section 59 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (Central Act No. 34 of 2006) (hereinafter referred to as "the Food Safety Act") also provides for different punishments, for offences such as manufacturing for sale or storing or selling or distributing or importing any article of food for human consumption which is unsafe, depending upon the gravity of injury caused thereby. The maximum punishment provided under the said section 59 is imprisonment for life and such offences are cognizable under the said Act.

Also, section 27 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act No. 23 of 1940) (hereinafter referred to as "the Drugs Act") provides punishment for manufacturing for sale or distribution or for selling or storing or distributing any drug which is adulterated or spurious. Under the said section 27 of the Drugs Act punishment of imprisonment for a term from ten years to imprisonment for life and fine is provided and the offence under said section 27 is cognizable.

Thus, there are drastic variations in punishments for the offences related to adulteration of food and drugs with the Indian Penal Code containing mildest punishments of six months imprisonment or fine and the Food Safety Act and the Drugs Act containing stringent punishments of imprisonment for life.

It is also noticed that at many instances during the raids by Police, the offences of the adulterated or unsafe food as well as adulterated or spurious drugs are detected in respect of which First Information Report is registered under said sections 272 to 276 of the Indian Penal Code. In such cases, arrest or detention of the accused is necessary for the purposes of adequate and effective investigation and collection of evidence in time. Since the said offences under said sections of the Indian Penal Code are non-cognizable and bailable, the police as well as Food Safety Officer and Drug Inspector are facing difficulties in investigation of the crime which are affecting health of the public at large. Therefore, there is an urgent need for stringent punishments even for the said offences under the Indian Penal Code that can equally act as a deterrent.

Hence, the State Government considers it expedient to amend sections 272 to 276 of the Indian Penal Code and the First Schedule to the Code of Criminal Procedure for enhancing the punishments and fines provided thereunder and to make the said offences cognizable and non-bailable.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives. Hence the Bill.

अशोक गहलोत, Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE INDIAN PENAL CODE, 1860 (CENTRAL ACT NO. 45 OF 1860)

XX XX XX XX XX XX XX

- 272. Adulteration of food or drink intended for sale. Whoever adulterates any article of food or drink, so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
- **273. Sale of noxious food or drink.-** Whoever sells, or offers or exposes for sale, as food or drink, any article which has been rendered or has become noxious, or is in a state unfit for food or drink, knowing or having reason to believe that the same is noxious as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
- **274. Adulteration of drugs.-** Whoever adulterates any drug or medical preparation in such a manner as to lessen the efficacy or change the operation of such drug or medical preparation, or to make it noxious, intending that it shall be sold or used for, or knowing it to be likely that it will be sold or used for, any medicinal purpose, as if it had not undergone such adulteration, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
- 275. Sale of adulterated drugs.- Whoever, knowing any drug or medical preparation to have been adulterated in such a manner as to lessen its efficacy, to change its operation, or to render it noxious, sells the same, or offers or exposes it for sale, or issues it from any dispensary for medicinal purposes as unadulterated, or causes it to be used for medicinal purposes by any person not knowing of the adulteration, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

276. Sale of drug as a different drug or preparation. Whoever knowingly sells, or offers or exposes for sale, or issues from a dispensary for medicinal purposes, any drug or medical preparation, as a different drug or medical preparation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM CODE OF CRIMINAL PROCEDURE ACT, 1973 (CENTRAL ACT NO. 2 OF 1974)

XX XX XX XX XX XX XX

THE FIRST SCHEDULE CLASSIFICATION OF OFFENCES

XX XX XX XX XX XX XX

I.-OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE

Section	Offence		Punishment	Cognizable or non- cognizable	Bailable or Non- bailable	By what Court triable
1	2		3	4	5	6
XX CHAPTER	XX XX XIV OFFENCES AI CONVENIENCE					XX ETY,

XX	XX XX	XX	XX	XX	XX
272	Adulterating food or drink intended for sale, so as to make the same noxious.	Imprisonment for 6 months, or fine of 1,000 rupees, or both.	Ditto	Ditto	Ditto.
273	Selling any food or drink as food and drink, knowing the	Ditto.	Ditto.	Ditto	Ditto.

XX		XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX
	276	to ha adult Know or iss dispe or m prepa	eve been derated. Wingly selling suing from a consary any drug dedical aration as a rent drug or cal preparation.	Ditto	Ditto	Ditto	Ditto.
	275	or to oper make Offe issui dispe or m prep	change its ation, or to e it noxious. ring for sale or ng from a ensary any drug edical aration known	Ditto	Ditto	Bailable	Ditto.
	274	Adul drug prepa for s	to be noxious. Iterating any or medical aration intended ale so as to n its efficacy,	Ditto	Ditto	Non- bailable	Ditto.

<u>2021 का विधेयक सं. 10</u>

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को इनके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1 प्रारम्भिक

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2021 है।
 - (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
- (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 2 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संशोधन

2. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 272 का संशोधन.- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 272 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्त् जो

सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा और यदि खाने या पीने की वस्तु का ऐसा अपिमश्रण मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

- 3. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 273 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 273 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा और यदि खाने या पीने की ऐसी वस्तु जो अपायकर कर दी गई हो या हो गई हो, मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 4. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 274 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 274 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा और यदि ओषिध या भेषजीय निर्मित का ऐसा अपमिश्रण मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण

है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

- 5. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 275 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 275 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दिण्डित किया जाएगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा और यदि ओषिध या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपिमश्रण मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 6. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 276 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 276 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दिण्डित किया जाएगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा और यदि ऐसी ओषिध या भेषजीय निर्मिति मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 3 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन

7. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की प्रथम अनुसूची का संशोधन.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की प्रथम अनुसूची "अपराधों का वर्गीकरण" में शीर्षक "1. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध" के अधीन, धारा 272 से 276 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"	272	विक्रय के लिए	दोनों में से किसी	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन
		आशयित खाद्य	भांति के कारावास			न्यायालय
		या पेय का	से, जिसकी अवधि			
		ऐसा अपमिश्रण	एक वर्ष से कम			
		जिससे वह	की नहीं होगी,			
		अपायकर बन	किन्तु जो सात वर्ष			
		जाए।	तक की हो सकेगी			
			और जुर्माने से, जो			
			दस हजार रुपए से			
			कम का नहीं होगा।			
		यदि खाने या	दोनों में से किसी	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।
		पीने की वस्तु	भांति के कारावास			
		का ऐसा	से, जिसकी अवधि			
		अपमिश्रण	तीन वर्ष से कम			
		मानव जीवन	की नहीं होगी,			
		के लिए	किन्त् जो आजीवन			
		संकटपूर्ण है।	कारावास तक की			
			हो सकेगी और			
			जुर्माने से, जो			
			पचास हजार रुपए			
			से कम का नहीं			
			होगा।			
			•			

		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	- \	- \	- >
273	खाद्य और पेय	दोनों में से किसी	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	के रूप में	भांति के कारावास			
	किसी खाद्य	से, जिसकी अवधि			
	और पेय को,	एक वर्ष से कम			
	यह जानते हुए	की नहीं होगी,			
	कि वह	किन्तु जो सात वर्ष			
	अपायकर है,	तक की हो सकेगी			
	बेचना।	और जुर्माने से, जो			
		दस हजार रुपए से			
		कम का नहीं होगा।			
	यदि खाने या	दोनों में से किसी	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।
	पीने की ऐसी	भांति के कारावास			
	वस्तु जो	से, जिसकी अवधि			
	अपायकर कर	तीन वर्ष से कम			
	दी गई हो या	की नहीं होगी,			
	हो गई हो,	किन्तु जो आजीवन			
	मानव जीवन	कारावास तक की			
	के लिए	हो सकेगी और			
	संकटपूर्ण है।	जुर्माने से, जो			
		पचास हजार रुपए			
		से कम का नहीं			
		होगा।			
274	विक्रय के लिए	दोनों में से किसी	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	आशयित किसी	भांति के कारावास			
	ओषधि या	से, जिसकी अवधि			
	भेषजीय	एक वर्ष से कम			
	निर्मिति का	की नहीं होगी,			
	ऐसा अपमिश्रण	किन्तु जो सात वर्ष			
	जिससे उसकी	तक की हो सकेगी			
	प्रभावकारिता	और जुर्माने से, जो			
	कम हो जाए	दस हजार रुपए से			
	या उसकी	कम का नहीं होगा।			
	क्रिया बदल				
	जाए या वह				
	अपायकर हो				

	जाए।				
	यदि ओषधि या	दोनों में से किसी	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।
	भेषजीय	भांति के कारावास	9919(1	9919(1	9919(1)
	निर्मिति का	से, जिसकी अवधि			
	ोनामात का ऐसा अपमिश्रण				
	मानव जीवन	की नहीं होगी,			
	के लिए	किन्तु जो आजीवन			
	संकटपूर्ण है।	कारावास तक की			
		हो सकेगी और			
		जुर्माने से, जो			
		पचास हजार रुपए			
		से कम का नहीं			
		होगा।			
275	किसी ओषधि	दोनों में से किसी	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	या भेषजीय	भांति के कारावास			
	निर्मिति को	से, जिसकी अवधि			
	·	एक वर्ष से कम			
	ज्ञात है कि वह				
	अपमिश्रित है	किन्त् जो सात वर्ष			
	बेचने की	तक की हो सकेगी			
	प्रस्थापना	और जुर्माने से, जो			
	करना या	दस हजार रुपए से			
	औषधालय से	कम का नहीं होगा।			
	देना।				
	, q				
	यदि ओषधि या	दोनों में से किसी	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।
	भेषजीय	भांति के कारावास			
	निर्मिति का	से, जिसकी अवधि			
	ऐसा अपमिश्रण	तीन वर्ष से कम			
	मानव जीवन	की नहीं होगी,			
	के लिए	किन्त् जो आजीवन			
	संकटपूर्ण है।	कारावास तक की			
	<u>"</u>	हो सकेगी और			
		जुर्माने से, जो			
		्र पचास हजार रुपए			
		से कम का नहीं			
L	l .	<u> </u>	l		i

		होगा।			
276	किसी ओषधि	दोनों में से किसी	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	या भेषजीय	भांति के कारावास			
	निर्मिति को	से, जिसकी अवधि			
	भिन्न ओषधि	एक वर्ष से कम			
	या भेषजीय	की नहीं होगी,			
	निर्मिति के रूप	किन्तु जो सात वर्ष			
	में, जानते हुए,	तक की हो सकेगी			
	बेचना या	और जुर्माने से, जो			
	औषधालय से	दस हजार रुपए से			
	देना।	कम का नहीं होगा।			
			,		,
	यदि ऐसी	दोनों में से किसी	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।
	ओषधि या	भांति के कारावास			
	भेषजीय	से, जिसकी अवधि			
	निर्मिति मानव	तीन वर्ष से कम			
	जीवन के लिए	की नहीं होगी,			
	संकटपूर्ण है।	किन्तु जो आजीवन			
		कारावास तक की			
		हो सकेगी और			
		जुर्माने से, जो			
		पचास हजार रुपए			
		से कम का नहीं			
		होगा।			

"I

उद्देश्यों और कारणों का कथन

खाने और पीने की वस्तुओं और साथ ही ओषधियों का अपमिश्रण किया जाना जनता के स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर खतरा है।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धाराएं 272 से 276 खाने, पीने, ओषिध या भेषजीय निर्मिति के अपिमश्रण, जो इसे अपायकर बनाता हो, और उनको बेचने से संबंधित अपराधों के लिए उपबंध करती हैं। उक्त अपराध दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय हैं।

उक्त अपराध असंज्ञेय हैं और धारा 274 के अधीन किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति के अपमिश्रण से संबंधित अपराध के सिवाय, धारा 272, 273, 275 और 276 के अधीन अपराध जमानतीय हैं।

भारतीय दण्ड संहिता के शास्तिक उपबंधों के अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 34) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "खाद्य सुरक्षा अधिनियम" कहा गया है) की धारा 59 भी मानव उपभोग के लिए असुरक्षित किसी खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए विनिर्माण करने या भण्डारण करने या विक्रय करने या वितरण करने या आयात करने जैसे अपराधों के लिए, उसके कारण कारित क्षति की गंभीरता पर निर्भर करते हुए, भिन्न-भिन्न दण्डों का उपबंध करती है। उक्त धारा 59 के अधीन उपबंधित अधिकतम दण्ड आजीवन कारावास है और ऐसे अपराध उक्त अधिनियम के अधीन संजेय

इसके साथ ही, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ओषधि अधिनियम" कहा गया है) की धारा 27 किसी ओषधि, जो

अपमिश्रित या नकली है, का विक्रय करने के लिए विनिर्माण करने या वितरण करने या विक्रय करने या भण्डारण या वितरण करने के लिए दण्ड का उपबंध करती है। ओषधि अधिनियम की उक्त धारा 27 के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से आजीवन कारावास तक और जुर्माने का दण्ड उपबंधित है और उक्त धारा 27 के अधीन यह अपराध संज्ञेय है।

इस प्रकार, खाद्य और ओषधियों के अपिमश्रण से संबंधित अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता में छह मास के कारावास या जुर्माने के बहुत हल्के दण्ड होने तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम और ओषि अधिनियम में आजीवन कारावास का कठोर दण्ड होने से दण्डों में बह्त अंतर है।

यह भी ध्यान में आया है कि पुलिस द्वारा छापों के दौरान ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जहां अपमिश्रित या असुरक्षित खाद्य और साथ ही साथ अपमिश्रित या नकली ओषधियों के अपराधों का पता चलता है जिनके संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की उक्त धाराओं 272 से 276 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। ऐसे मामलों में, पर्याप्त और प्रभावी अन्वेषण के प्रयोजनों और समय पर साक्ष्य एकत्र करने के लिए, अभियुक्त की गिरफ्तारी या निरोध आवश्यक है। चूंकि भारतीय दण्ड संहिता की उक्त धाराओं के अधीन उक्त अपराध असंज्ञेय और जमानतीय हैं इसलिए पुलिस और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी और ओषधि निरीक्षक ऐसे अपराधों के अन्वेषण में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिससे व्यापक रूप से आम जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन भी उक्त अपराधों के लिए कठोर दण्डों की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे वे निवारक के रूप में समान रूप से कार्य कर सकें।

अत:, राज्य सरकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 से 276 और दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची को, उनके अधीन उपबंधित दण्ड और जुर्माने को बढ़ाने के लिए और उक्त अपराधों को संज्ञेय और अजमानतीय बनाने के लिए, संशोधित किया जाना समीचीन समझती है। यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है। अत: विधेयक प्रस्तुत है।

> अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

272. विक्रय के लिए आशियत खाद्य या पेय का अपिमश्रण.-जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपिमश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

273. अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय.- जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो अपायकर कर दी गई हो, या हो गई हो, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दिण्डित किया जाएगा।

274. औषधियों का अपमिश्रण.- जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मित में अपमिश्रण इस आशय से कि या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह किसी ओषधीय प्रयोजन के लिए ऐसे बेची जाएगी या उपयोग की जाएगी, मानो उसमें ऐसा अपमिश्रण न हुआ हो, ऐसे प्रकार से करेगा कि उस ओषधि या भेषजीय निर्मित की प्रभावकारिता कम हो जाए, क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

275. अपमिश्रित ओषधियों का विक्रय.- जो कोई यह जानते हुए कि किसी ओषधी या भेषजीय निर्मिति में इस प्रकार से अपमिश्रण किया गया है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई या उसकी क्रिया बदल गई है, या वह अपायकर बन गई है, उसे बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, या किसी ओषधालय से ओषधीय प्रयोजनों के लिए उसे अनपोमिश्रित के तौर पर देगा या उसका अपमिश्रित होना न जानने वाले व्यक्ति द्वारा औषधीय प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दिण्डत किया जाएगा।

276. ओषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय.- जो कोई किसी ओषधि या भेषजीय निर्मित को, भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मित को, भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मित के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या औषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय से देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

 $\mathbf{X}\mathbf{X}$ $\mathbf{X}\mathbf{X}$ $\mathbf{X}\mathbf{X}$ XX XXदण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) से लिये गये उद्धरण $\mathbf{X}\mathbf{X}$ $\mathbf{X}\mathbf{X}$ $\mathbf{X}\mathbf{X}$ $\mathbf{X}\mathbf{X}$ $\mathbf{X}\mathbf{X}$ प्रथम अन्सूची अपराधों का वर्गीकरण $\mathbf{X}\mathbf{X}$ $\mathbf{X}\mathbf{X}$ $\mathbf{X}\mathbf{X}$ $\mathbf{X}\mathbf{X}$ $\mathbf{X}\mathbf{X}$

1. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध

धारा	अपराध	दं ड 3	संज्ञेय या असंज्ञेय 4	जमानतीय या अजमानतीय 5	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
XX	XX	XX		XX	XX
अध्याय 14-त	त्रोक स्वास्थ्य, क्षेम, र	मुविधा, शिष्टता	और सदाच	ार पर प्रभाव डाल	ाने वाले अपराध
XX	XX	XX		XX	XX
272	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण जिससे वह अपायकर बन जाए।	के लिए	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।
273	खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य और पेय को, यह जानते हुए कि वह अपायकर है,	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।
274	विक्रय के लिए आशयित किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता		असंजेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।

XX	XX	XX		XX	XX
XX	XX	XX		XX	XX
	देना।				
	ओषधालय से				
	बेचना या				
	जानते हुए,				
	के रूप में,				
	भेषजीय निर्मिति				
	ओषधि या				
	को भिन्न				
	भेषजीय निर्मिति				
276	किसी ओषधि या	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।
	देना।				
	या ओषधालय से				
	प्रस्थापना करना				
	है बेचने की				
	वह अपमिश्रित				
	में ज्ञात है कि				
	को जिसके बारे				
	भेषजीय निर्मिति	•	•		
275	· •	यथोक्त	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त।
	जाए।				
	वह अपायकर हो				
	बदल जाए या				
	उसकी क्रिया				
	कम हो जाए या				

<u>2021 का विधेयक सं. 10</u>

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा) राजस्थान विधान सभा

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को इनके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर, सचिव। (अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 10 of 2021

THE CRIMINAL LAWS (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2021

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY \boldsymbol{A} Billfurther to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973, in their application to the State of Rajasthan. (To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur, **Secretary.**

 $(A shok\ Gehlot,\ \textbf{Minister-Incharge})$